समाचार एवं विचार सेवा वार्षिक सहयोग राशि 25/–

महाकौशल–संदेश

वर्षः– 2019–20 पृष्ठः– 4 अंक :– 43 संपादक :– डॉ. किशन कछवाहा

RNI No. MPHIN/2001/11140

यह सामग्री 'प्रकाशनार्थ' प्रेषित है। कृपया अपने लोकप्रिय पत्र–पत्रिका में प्रकाशित कर Complimentaryकापी प्रेषित करने की अनुकम्पा करें।

मकर संक्रान्ति – डॉ. किशन कछवाहा

हिन्दू धर्मावलम्बियों का यह मकर संक्रान्ति अत्यन्त धार्मिक उत्सव है। यह पर्व हमारी उस सुदृढ़ सभ्यता और शास्त्र–परम्परा का द्योतक है, जिसे श्रद्धा, उत्साह और उमंग के साथ मनाया जाकर सर्वोत्तम आनन्द की स्थिति को महसूस किया जाता है। ज्योतिषीय एवं धार्मिक मान्यतानुसार इसी दिन भगवान सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर प्रस्थित होते हैं। इस भूमंडलीय परिवर्तनीय स्थिति को लेकर देश के विभिन्न अंचलों में इस पावन पर्व को विभिन्न नामों से अभिहित किया जाता है। कहीं–कहीं इसे उदय पर्व, उत्तरायणी कहकर भगवान सूर्य की आराधना एवं उपासना की जाती है। शास्त्रीय परम्परा का पालन करते हुये इस दिन किये जाने वाले तीर्थ स्नान, जप, पूजा, पाठ दान, तर्पण, श्राद्ध व तर्पण तथा यज्ञों आदि का भी विधान है। इन तमाम कारणों से यह दिन सर्वोत्तम माना जाता है।

गोस्वामी तुलसीदास महाराज ने अपने विश्व प्रख्यात ग्रंथ 'श्रीरामचरितमानस' में इस दिन का महत्व प्रदिपादित करते हुए लिखा है कि ''माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पतिहिं आव सब कोई'' तीर्थराज प्रयाग सहित सभी पावन नदियों में स्नान की महत्ता को बताया गया है।

इससे जुड़ी पौराणिक मान्यतायें भी अनेकानेक हैं। कहा जाता है विभिन्न दिव्य स्वर्गादपि लोकों में निवास करने वाले देवताओं का इस दिन से ही वर्ष का शुभारम्भ होता है। उत्तरायण दिन और दक्षिणायन रात्रि–इस तरह की मान्यता प्राचीनकाल से चली आ रही है।

सूर्य का मकर में संक्रमण 'संक्रान्ति से आशय है–सूर्य का एक राशि से दूसरी राशि में जाना। अर्थात् जिस राशि में सूर्य प्रवेश करता है उसे संक्रान्ति के नाम से जाना जाता है। यह जानना भी अत्यन्त आवश्यक है कि एक वर्ष में बारह संक्रान्तियों की मान्यता है। सूर्य का मकर राशि में प्रवेश करना ''मकर संक्रान्ति कहा जाता है।''

इस वर्ष मकर संक्रान्ति का शुभारम्भ 14 जनवरी को मध्यरात्रि के बाद 2:08 बजे से होगा। हिन्दू मान्यता के अनुसार इस शुभ मुहुर्त में पूरादिन दान–पुण्य के लिये माना गया है।

देवी पुराण में इस दिन का महत्व बतलाते हुये कहा गया है कि जो व्यक्ति इस पावन दिन तीर्थ स्नान नहीं करता, वह सात जन्मों तक रोगी और निर्धन ही बना रहता है। इसी पुराण में अकालमृत्यु से बचने के लिये 'श्री दुर्गासप्तशती' के पाठ करने का विधान भी बतलाया गया है।

अनेक विद्वानों एवं ज्योतिषियों का मत है कि मकर संक्रान्ति पर पूर्वजों का स्मरण करते हुये श्राद्ध–तर्पण आदि भी किया जाना चाहिये। घृत, कम्बल और ऊन का दान भी गरीबों के लिये किया जाना हितकर होता है। हमारे देश की एक अलग विशेषता है कि वह उत्सव प्रिय है, उत्सवों और त्यौहारों का देश है।

इस पावन दिन के साथ अनेकों ऐतिहासिक और पौराणिक कथाओं को भी जोड़कर देखा जाता है। महाभारत युद्ध में अर्जुन के वाणों से बुरी तरह आहत, शरशैया पर अंतिम साँसें गिन रहे भीष्मपितामह जो कोरवों और पाण्डवों के पितामह थे, सूर्य के उत्तरायण की प्रतीक्षा में 56 दिनों तक मृत्यु को टालते रहे। सूर्य के उत्तरायण में आने की स्थिति में ही उन्होंने अपने प्राणों का परित्याग किया था। ऐसी मान्यता है कि सूर्य के उत्तरायण होने पर मृत्यु होने पर ब्रह्मवेत्ता योगीजन परमब्रह्म को प्राप्त होते हैं।

इसी प्रकार पानीपत के तृतीय युद्ध में पेशवा वाजीराव के पुत्रमराठा सेनापति शिरोमणि श्री रावभाऊ ने भी वीरतापूर्वक युद्ध करते हुये इसी दिन अपने प्राणों का परित्याग किया था। इस पावन दिन का दशमेश गुरू गोविन्दसिंह जी का भी गहरा सम्बंध है। उनके 40 शिष्य निरन्तर युद्धों से ऊबकर उनका साथ छोड़कर चले गये थे, लेकिन जब इन शिष्यों को गाँव की महिलाओं ने धिक्कारा तो उन्हें अपनी भूल का अहसास हुआ। वे फिर वापिस आये और विधर्मी मुसलमानों से लड़ते हुये वीर गति को प्राप्त हुये। स्वामी विवेकानन्दजी का जन्म भी मकर संक्रान्ति के पावन पर्व पर हुआ था।

महाभारत की एक कथा में उल्लेख मिलता है कि जब पाण्डव अज्ञातवास कर रहे थे, तब उन्हें इस दिन भिक्षा में चांवल, दाल और तिल मिले थे। उसे ही पकाकर उन्होंने खाया था। तब से कहा जाता है कि इस दिन से खिचड़ी खाने की परम्परा की शुरूआत हुयी। खिचड़ी को समाज की समरसता और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी जोड़कर देखा जाता है।

विश्व का सबसे बड़ा गैर राजनैतिक सांस्कृतिक एवं सामाजिक संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा मनाये जाने वाले महत्वपूर्ण छैः त्यौहारों में राष्ट्रजीवन को संगठित व सामर्थ्यशाली बनाने की प्रेरणा देने वाले पर्वों के उत्सव के रूप में मकर संक्रान्ति उत्सव मनाने की भी परम्परा है।

दक्षिण भारत में 'पोंगल' जो चार दिनों तक मनाया जाता है। शिव, गणेश, सूर्य और इन्द्र की उपासना इस पर्व के दौरान की जाती है। पंजाब, हरियाणा, हिमांचल प्रदेश और कश्मीर में 'लौहिड़ी' के नाम से मनाया जाने वाला यह पर्व आनन्द से भर देता है। असम में 'बिहू', महाराष्ट्र और गुजरात में 'तिल–गुड़' के मिष्ठान खिलाकर त्यौहार मनाने की परम्परा है।

संक्रान्ति का अर्थ है 'मस्तिष्क में स्थित विचारों को सुविचारों में परिवर्तित करना। क्रान्ति और संक्रान्ति शब्दों के अंतर को समझने की आवश्यकता है। क्रांति में केवल परिस्थितियों के परिवर्तन की बात सोची जाती है, जबकि संक्रान्ति में सम्यक् परिस्थिति स्थापित करने की आवश्यकता महसूस की जाती है। क्रांति में हिंसा है, तो वहीं संक्रान्ति में समझदारी निहित है।'

पड़ोसी राष्ट्र नेपाल में भी मकर संक्रान्ति को माघ संक्रान्ति व सूर्येन्तिरायण पर्व के रूप में खूब हर्षोल्लास से साथ मनाया जाता है। संक्षेप में इस पर्व के निमित्त सूर्य का प्रकाश, तिल–गुड़ की स्निग्धता व मिठास हमारे जीवन में साकार हो, तभी हमारे जीवन में योग्य संक्रमण हुआ है, ऐसा माना जा सकता है।

स्वास्थ्य और सामाजिक दृष्टिकोण से यदि विचार करें तो पता चलता है कि ऋतुचर्या के अनुसार माघ–मास में धूप स्नान व सूर्यदर्शन का बड़ा महत्व है। पतंग उड़ाने के पीछे इसका उद्देश्य और लाभ यही निहित है कि पतंग उड़ाते समय धूप–स्नान और सूर्यदर्शन का सहज ही लाभ प्राप्त हो जाता है। तिल–गुड़ का सेवन स्वास्थ्य की दृष्टि से लाभदायक होने के कारण हमारे ऋषि–मुनियों ने इस उत्सव के साथ जोड़ दिया होगा।

विपक्ष बतलाये नागरिकता कानून क्यों जरूरी नहीं है?

संदर्भ ननकाना साहिब पर हमला :

पाकिस्तान ने ननकाना साहिब गुरूद्वारे में पत्थर बाजी और सिखों पर हुये हमले की घटना से यह बात सौ प्रतिशत सच साबित हो गयी है कि नागरिकता संशोधन कानून की आज कितनी जरूरत है।

आम आदमी की भी समझ में आ गया है कि वर्तमान परिस्थितियों में पाक में अल्पसंख्यकों पर हो रहे उत्पीड़न के मद्देनजर इस कानून की कितनी आवश्यकता है।

सिखों ने उक्त हमले के विरोध में गत दिवस दिल्ली और जम्मू में प्रदर्शन किये। दिल्ली में पाकिस्तान दूतावास के बाहर भी सिख समुदाय के लोगों ने प्रदर्शन किये और ज्ञापन सौंपा।

नागरिकता कानून का विरोध करने वालों को पाकिस्तान में गुरूद्वारे के सामने एकत्रित मुस्लिमों की भीड़ द्वारा धमकाने की प्रक्रिया को देखकर सबक लेना चाहिये। यही भीड़ का उन्माद है। वास्तव में आजादी के बाद से ही पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों हिन्दू, सिखों, जैन, बौद्धों और ईसाईयों पर जुल्म लगातार होते आ रहे हैं। अभी दो वर्ष पूर्व ही समाजसेवी सरदार चरणसिंह का कत्ल कर दिया गया था।

ननकाना साहिब सिख धर्म के संस्थापक गुरूनानकदेवजी का जन्म स्थान है। वे सारे देश के लिये पूजनीय एवं आदर्श हैं। वीडियो में कट्टरपंथी कठमुल्लों द्वारा सिखों को भगाने की धमकी दिया जाना और उस पवित्र स्थान का नाम बदलकर गुलामअली मुस्तफा रखने की धमकी दिया जाना हैरानी की बात है।

इस घटना के बाद इमरान खान से गाढ़ी दोस्ती की ढ़ींग भरने वाले चहेते नवजोतसिंह सिद्धू का कोई ब्यान नहीं आया है न उन्होंने घटना की निन्दा की।

सी.ए.ए. और एन.आर.सी. की खिलाफत करने वाले भी इस मामले में अपना मुंह बन्द किये हुये हैं। यह बेहद शर्मनाक और दोगला चरित्र दिखाता है। भीड़ ने गुरूद्वारे पर पत्थरबाजी भी की थी। इतना ही नहीं भीड़ ने गुरूद्वारा परिसर को घेर लिया था। इसे सामान्य बात मान कर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना उस समय हुयी है जब भारत में संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ देशभर में प्रदर्शन हो रहे हैं। इस कानून के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से धार्मिक आधार पर प्रताड़ित होकर आये हिन्दू, सिख, ईसाई, पारसी, जैन और बौद्ध शरणार्थियों को नागरिकता देने का प्रावधान है। क्या यह मान लिया जाना चाहिये कि जो भी ताकतें इस कानून का विरोध कर रहीं हैं, वे देश विरोधी हैं और इस देश में उन शत्रुओं को मजबूत होने का अवसर देना चाहती है। आवश्कता तो इस बात की थी कि ऐसी प्रताड़ना की घटनाओं को विश्व मंच पर उठाया जाता। यह खुलासा किया जाना जरूरी था कि पाकिस्तान में लगातार अल्पसंख्यकों के साथ वहां अत्याचार हो रहे हैं। इस्लामिक स्टेट होने से हिन्दू धर्मावलम्बियों का जीवन दूभर हो गया था। जिहादियों और कट्टरपंथियों के अत्याचारों से उनका जान–माल, काम–धंधा, इज्जत–आबरू, धर्म–पूजा मंदिर गुरूद्वारा कुछ भी सुरक्षित नहीं रह पाया था।

हिन्दू बहुल होने के बाद भी भारत की सरकारों ने छद्म निरपेक्षता का चौंगा ओढ़ अब तक उनकी दुर्दशा पर अपनी आंखें बन्द कर रखी थी। देर–अबेर अब मोदी सरकार ने साहस भरा कदम उठाया है जिससे इन पीड़ितों को भारत में परिवार के साथ सम्मानपूर्वक जीवन यापन का अवसर मिलेगा।

कतिपय राजनैतिक दल इन मामले को छुद्र वोट बैंक की नीति से जोड़कर देखने के कारण इस कानून का विरोध भी कर रहे हैं। यह न केवल असंवैधानिक वरन् विघटनकारी और देश द्रोहितापूर्ण रवैया है।

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने नया पाकिस्तान बनाने की घोषणा कर सुर्खियां बटोरी थी लेकिन एक सिख लड़की का अपहरण, गुरूद्वारे पर हमला, एक सिख युवक की अभी हाल में हुयी हत्या इसके पहले दो हिन्दू लड़कियों के अपहरण और जबरन शादी कराये जाने सम्बंधी मामले सामने आ चुके हैं, अन्य अत्याचारों के मामले तो दबा दिये जाते हैं, जिनकी खबरें भी नहीं मिल पाती। इन घटनाओं से पता चलता है कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की स्थिति दिन–प्रतिदिन खराब से बदतर होती जा रही है। सरकार कुछ कार्रवाई करने के बजाय शह देने में लगी प्रतीत होती है।

उम्मीद की किरणें

राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अगुआई में लगातार कमाल कर रही है। तीन तलाक की बर्बरता और अनुच्छेद 370 के अन्याय का उपचार करने के बाद जिस तरह संसद के दूसरे ही सत्र में नागरिक (संशोधन) विधेयक पर सरकार आगे बढ़ी उससे सरकार में जनता का विश्वास निश्चित ही और गहरा हुआ है।

गति, समानता और पारदर्शिता... इस सरकार को दोबारा पहले से ज्यादा शक्ति के साथ जनादेश दिलाने वाले कारक यही तो थे!

केवल विरोध के लिए विरोध करने वाले विपक्ष को यदि एक ओर रख दें तो पाएंगे कि मुद्दे की एक बात, जो पहले की अनेक सरकारों नहीं समझी वह इस सरकार ने गांठ बांध ली है। यह बात है– 'जनादेश के अनुसार कार्यादेश।'

सीमापार के उन्मादियों के लिए जो सिर्फ मुसलमान बनाने या पैदा करने का कच्चा माल था, सेकुलर लामबंदियों के लिए जो सिर्फ 'कागजी आंकड़ा' और जबानी जमाखर्च था, मानवता के उस बदनसीब हिस्से को अब जाकर उम्मीद की रोशनी नसीब हुई है

नोटबन्दी, तीन तलाक या अनुच्छेद 370.... सरकार के ये कदम भी बड़े थे और विरोधियों को जरा नहीं भाये थे! सोचने वाली बात यह है कि विरोध के सुरों के बीच भी जनता ने इन्हें हाथोंहाथ क्यों लिया?

इसलिए क्योंकि इसमें समाज को समाधान दिखता है, एक उत्तर, एक आशा नजर आती है। देश–समाज का दिल दुखाने वाले एक नहीं, कई मुद्दे राजनीति द्वारा लगातार असीमित काल तक टलते–टलते अकारण ही प्राचीन और जटिल बना दिए गए थे! नागरिक (संशोधन) विधेयक भी एक ऐसे ही लम्बित प्रश्न का चिरप्रतीक्षित समाधान है।

दुष्यंत का एक शेर है–

हो गई है पीर–पर्वत सी,
पिघलनी चाहिए।

इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए।।

कहा जा सकता है कि नागरिक (संशोधन) विधेयक एक जिम्मेदार राष्ट्र द्वारा समाज को हो रही पीड़ा को समाप्त करने का ही आरम्भ है। यह राष्ट्रनीति की बात है, क्षुद्र स्वार्थों और विभाजक रेखाओं पर पलने वाली राजनीति इसमें नहीं है।

अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के दर्द और दुर्दशा की कहानियाँ ऐसी हैं जिनसे भारतीय समाज के भीतर तक हिल जाता था। ऐसा नहीं कि सरकारें और मीडिया इससे अनजान थे, अंतर सिर्फ यह था कि इस विषय को केवल सुर्खियों और सुविधा के हिसाब से उठाया जाता था। केन्द्र

शेष भाग पृष्ठ क्र. 4 पर

क्रान्तिवीर सावरकर : चरित्र हनन की कॉंग्रसी कोशिश

अतीत की गल्तियों के परिणाम स्वरूप देशभर में एक छत्र शासन करने वाली कांग्रेस अब भी सबक लेती नजर नहीं आ रही। चुनावों में लाभ लेने हिन्दुत्व का चोला भले ही मजबूरी में ओढ़ लिया गया हो, लेकिन हिन्दुत्व एवं राष्ट्रभक्ति को कठघरे में खड़ा करने की अतिघृणित युक्तियों से अपने को दूर नहीं कर पा रही है। क्या आज के सुविधाभोगी अवसरवादी राजनीति के पैरोंकार कष्ट भोगी क्रांतिकारियों के राष्ट्र समर्पित व्यक्तित्व को कभी समझ भी पायेंगे?

तिल–तिल जला कर अपने आपको राष्ट्र के लिये समर्पित करने वाले महाकर्मवीर–क्रांतिकारी थे वीर सावरकर। वीर सावरकर ने उन भीषण यातनाओं को झेलते हुये अंडमान और रत्नागिरी की कालकोठरी की दीवालों पर बिना कागज–लेखनी के कीलों, कोयलों और अपने नाखूनों से राष्ट्रवादी साहित्य का सृजन किया था। इतनी ही नहीं उसे याद कर देशवासियों तक पहुंचाने का उत्कृष्ट एवं श्रेष्ठतम कार्यों का उदाहरण पेश किया था। उनपर आज के सुविधाभोगी कांग्रेसी लांछन लगाकर अट्टहास कर रहे हैं–यह उनकी हद दर्जे की गिरती मानसिकता का परिचायक है। वे ऐसे प्रथम इतिहास लेखक थे जिन्होंने सन् 1857 में हुयी देशव्यापी जनक्रान्ति को स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी थी। वे उस सदी के ऐसे प्रेरक महामानव थे, जिनकी चरण धूलि लेकर हजारों नहीं लाखों देश की बलिवेदी पर न्यौछावर हो गये। ऐसे क्रान्तिवीर पर कीचड़ उछालने की जितनी भी भर्त्सना की जाय, वह कम है।

देश के प्रख्यात महानायक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, अद्वितीय व्यक्तित्व के धनी वीर सावरकर के चरित्र हनन का प्रयास चांद पर थूकने जैसा है। कांग्रेस सेवादल ने एक पुस्तिका वितरित कर ऐसा घिनौना कृत्य किया है, जिसका उदाहरण मिलना कठिन है तथा कांग्रेस इस कुकृत्य से कभी भी अपने दामन पर लगे दाग को नहीं धो पायेगी। इस पुस्तिका में प्रकाशित सामग्री द्वारा हर दृष्टि से उन्हें खलनायक सिद्ध करने की जघन्यतम कोशिश की है।

इस पुस्तिका में सावरकर को समलैंङ्गिक, रावण और सीता, नेता जी सुभाष चन्द्र बोस पर अपने ओछे किस्म के विचार थोपने की कोशिश की है। राजनीति में भाजपा से आगे निकलने का यह कुत्सित प्रयास ही है। कांग्रेस नेताओं को न भाजपा, न ही संघ के बारे में सही जानकारी है। इसके अभाव में ऊल–जलूल तरीकों और अपनी ओछी हरकतों से हिन्दुत्व पर कीचड़ उछालते रहते हैं।

सावरकर ने हिन्दुत्व के पंच प्राण हिन्दुत्व, हिन्दू राष्ट्र दर्शन जैसी अमूल्य पुस्तकें लिखी हैं जिससे हिन्दुत्व की राजनीतिक सांस्कृतिक और राष्ट्रवादी व्याख्या का अभूतपूर्व प्रचार हुआ है। इसी कारण कांग्रेस तिलमिलाई हुयी है और राजनैतिक सत्ता से हाथ धोने के कारण झुंझलाहट में अपना आपा खो बैठी है।

सावरकर इस देश के एकमात्र स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे जिनको पच्चीस–पच्चीस वर्ष की दो आजीवन कारावास की सजा अंग्रेजों द्वारा दी गयी थी। वे 11 साल तक लगातार जेल में जिस यातनादायक स्थिति में रहे, उसका वर्णन सुनकर किसी की भी आत्मा कॉंप उठेगी। उनका पूरा जीवन हृदय विदारक घटनाओं से भरा पड़ा है। उन जैसा जेल में कष्ट सहने वाले किस महापुरूष की तलाश हो सकती है।

जो व्यक्ति हिन्दुत्व की बात करते हुए महिलाओं के सम्मान का आदर के साथ उल्लेख करता हो, उस पर बलात्कार का समर्थन करने जैसे आरोप लगाना, आरोपकर्ताओं की अल्पबुद्धि का ही द्योतक हो सकता है।

जिस गॉंधी हत्याकांड में उन्हें आरोपित किया गया, उससे तो वे एक वर्ष पूरा होने के पहले ही बरी कर दिये गये थे।

जिसे कांग्रेस माफीनामा कहती है उस पत्र में उन्होंने लिखा है कि अगर उन्हें रिहा करने में किसी भी प्रकार की मुश्किलें खड़ी होती हों तो उनके बदले अन्य कैदियों को मुक्त कर दिया जाय। गांधीजी ने स्वयं सावरकर के छोटे भाई से कहा था कि सावरकर से बोलो वह याचिका डाले और मैं भी उसकी रिहाई के लिये पैरवी करूंगा। लेकिन वे लम्बे समय तक घर में कैद रहे।

कांग्रेस उन्हें 'वीर' कहे जाने पर आपत्ति करती है तो वह ऐसे किसी अन्य कांग्रेसी का नाम बतायें जो लंदन में गिरफ्तार किया गया हो और समुद्र के किनारे पूरी निगरानी के साथ कैदी के रूप में लाये जा रहे जहाज के पोर्टहोलर से कूदकर फ्रांस की सीमा में जा पहुंचा हो। उनका पूरा जीवन रोमांचक घटनाओं से भरा हुआ है। उसकी आलोचना, चरित्रहनन का प्रयास किया जाना कुत्सित और हास्यास्पद है समझा जा सकता है।

वीर सावरकर पर कांग्रेस के सेवादल द्वारा जारी पुस्तिका में आपत्तिजनक एवं अपमान जनक टिप्पणियां की गई हैं जिन्हें 'फ्रीडम एट मिट नाईट' पुस्तक से संदर्भित किया गया है। यह पुस्तक बहुत पहले ही प्रकाशकों द्वारा वापिस ली जा चुकी है। भाजपा ने भी स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर पर घृणास्पद टिप्पणी किये जाने पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है।

वीर सावरकर महानतम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। इतना ही नहीं वे राष्ट्रवादी साहित्यकार, निर्भीक कवि और चिन्तनशील विद्वान थे। अंग्रेज शत्रुओं की राजधानी लंदन में रहकर उन्होंने अनेक पुस्तकें, लेख और देशभक्ति की भावनाओं को उद्वेलित करने वाली ओजस्वी कवितायें लिखीं। उनके द्वारा रचित ''1857 का स्वातंत्र्य समर'' ऐसा विलक्षण दस्तावेज बन गया था जिसने सरदार भगतसिंह, रासबिहारी बोस, लाला हरदयाल श्यामजी कृष्ण वर्मा, त्रिलोक्यानाथ चक्रवर्ती, करतार हसंह सराना, रामप्रसाद बिस्मिल, चन्द्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाखॉं और मदन लाल ढींगरा जैसों को क्रांति के लिय प्रेरित किया। इसी प्रेरणा के वशीभूत हो इन महान सपूतों ने भारत और इंग्लैंड में ब्रिटिश शासन को ललकारा।

वे ऐसे स्वातंत्र्य सेनानी थे और प्रथम भारतीय जिनपर हेग के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में मुकदमा चलाया गया था। वे अखंड भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के पक्षपाती थे। उनके आवाहन पर हजारों युवा सेना में भर्ती हुये और अवसर आने पर इन्हीं सैनिकों ने अंग्रेज सरकार के खिलाफ बगावत भी की।

एक जनसभा में वीर सावरकर ने घोषणा की थी–''भारतमाता के अंग–भंग कर उसके एक भाग को पाकिस्तान बनाने की मुस्लिम लीग और अंग्रेजों की छल करने वाली योजना का समर्थन कर कांग्रेस एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय अपराध कर रही है।''

कांग्रेस की हठधर्मी, अंग्रेजभक्ति मुस्लिम तुष्टीकरण और शीघ्र सत्ता हासिल कर लेने की छुद्र लालसा ऐसे कारण थे जिनके कारण देश का दुर्भाग्यपूर्ण विभाजन हो गया। इस बात को नजर अंदाज कर दिया गया कि भारत की स्वतंत्रता के लिये लाखों–करोड़ों बलिदान दिये गये हैं। उन बलिदानों की पीठ पर छुरी भोंक कर भारत का विभाजन स्वीकार किया जाना कतई उचित नहीं माना जा सकता था। भले ही इस बात को स्वीकार किया जाये कि सावरकर की विचारधारा का आधार हिन्दुत्व था और है। क्या हिन्दुत्व का अर्थ गैर हिन्दुओं का विरोध है?

देश की आजादी के लिये अपने जीवन की तिल–तिल आहुति

शेष भाग पृष्ठ क्र. 4 पर

पृष्ठ क्रमांक 3 का शेष भाग

देने वाले वीर सावरकर जैसे क्रान्तिकारियों पर कीचड़ उछालने वाले उन्हीं लोगों के बदनाम उत्तराधिकारी हैं, जो उस समय महात्मा गांधी को अंग्रेजों का पिट्ठू, सुभाषचन्द्र बोस को जापान का कुत्ता और सरदार भगतसिंह हो भटका हुआ देशभक्त कहा करते थे। ये वही लोग थे जिन्होंने सन् 1942 के भारत छोड़ो आन्दोलन और सन् 1971 के बांग्लादेश की स्वतंत्रता के समय भारत के साथ गद्दारी की थी। क्या ऐसे लोग वीर सावरकर जैसे राष्ट्रनायकों की देश सेवा के लिये साधना और तप की आहुति को समझ सकते हैं?

यह अत्यन्त दुर्भाग्य पूर्ण एवं मानसिक गुलामी का प्रतीक है कि आज आजादी के 72 वर्ष बीत जाने के बावजूद अंग्रेजों द्वारा बनाये दस्तावेजों का आजादी की लड़ाई लड़ने का दावा करने वाली कांग्रेस विश्वसनीय मानकर एक शीर्षस्थ स्वतंत्रता सेनानी पर गम्भीर लाँछन लगाकर अपमानित कर सकून का अनुभव कर रही है।

पृष्ठ क्रमांक 2 का शेष भाग

में नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार आने से पहले संसद के भीतर खुद कांग्रेस सरकार के अनेक विदेश राज्य मंत्रियों ने पास–पड़ोस से भारत आने वाले अल्पसंख्यकों की संख्या और मुद्दे की जटिलता अनेक बार बताई, लेकिन यह सिर्फ बताने भर की खानापूर्ति थी। इस समस्या के कारणों को जानने और उसके निदान की कोई गम्भीर कोशिश सरकारी स्तर पर नहीं की गई।

वर्ष 2014 में अपने अंतिम दिनों में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार ने खुद कहा, ''1, 11, 754 पाकिस्तानी नागरिक साल 2013 में वीजा लेकर भारत आए थे। हालांकि पंथ के आधार पर इनका वर्गीकरण फिल्हाल सम्भव नहीं है, लेकिन बड़ी संख्या में हिन्दू और सिख वीजा की अवधि खत्म होने पर भी भारत में रह रहे हैं।''

सवाल है कि राहत के लिए भारत से आस लगाए और वापस अपने देश जाने से घबराने वाले ये अल्पसंख्यक कौन थे? इनके डर की वजह क्या थी?

जो लोग नहीं जानते उनके लिए कुछ घटनाओं, उदाहरणों की धूल झाड़ लेना ठीक है:

०पाकिस्तान के अब्दुल खलिक मीथा को और कोई छोड़िए, खुद प्रधानमंत्री इमरान खान अच्छे से जानते हैं। सिंध प्रांत में रहने वाला यह मुल्ला ताल ठोककर कहता है कि मैंने सैकड़ों हिन्दू लड़कियों को मुस्लिम बनाकर उनका निकाह कराया है, मेरे पुरखों ने भी यही किया और मेरे बच्चे भी यही करेंगे।'

०सिख तीर्थयात्रियों के लिए करतारपुर गलियारे के द्वारा खोलने से करीब तीन माह पहले लाहौर के ननकाना साहिब क्षेत्र में ही एक सिख युवती पर जबरन इस्लाम लादकर उसका नाम आयशा रख दिया गया और एक मुसलमान लड़के को उसके मत्थे मढ़ दिया गया।

०बांग्लादेश में उन्मादियों के हाथ हलाल होने के डर से भागे अल्पसंख्यक आपको बंगाल के अलावा दिल्ली के चितरंजन पार्क जैसी बसाहटों में छोटे–मोटे काम करते नजर आ जाएंगे।

०देश की राजधानी में ही पालम के करीब बिजवासन में नाहर सिंह जैसे बड़े दिल वाले लोग आपको मिल जाएंगे, जिन्होंने अपने विशाल मकान और झोली को मुस्लिम पड़ोसी देशों से जान बचाकर आए दुखियारों के लिए खाली कर दिया।

जाहिर है यह किसी एक या नई घटना की बात नहीं है, पड़ोसी देशों में अल्पसंख्यकों को निगलने का यह एक सिलसिला है। देश में बच्चे–बूढ़े सभी, इस तरह की आंसुओं में डूबी हजारों कहानियों को अपने आस–पास देख–सुन रहे हैं। झुंझला रहे हैं, रो रहे हैं। दुनियाभर में रिचर्ड एल. बेनकिन और तसलीमा नसरीन जैसे ख्यात लेखकों की कलम से भारत के पड़ोसी देशों में 'जमात' से डरी अल्पसंख्यकों की जमात के जख्म दुनिया के सामने उघड़े पड़े हैं। अनेक देश इससे विचलित हैं... पाकिस्तान में हिन्दू लड़कियों के अपहरण्ण और जबरन कन्वर्जन के मुद्दे पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प, इमरान खान से स्वयं बात करें, इसके लिए अमेरिका के 10 सांसदों ने पत्र तक लिखा है।

हैरानी की बात है कि पूरी दुनिया को जिन इंसानों का दर्द दिखता है, भारत में सेकुलर चश्मा लगाए विपक्ष को ये इंसान नहीं केवल 'गैर–मुस्लिम' दिखते हैं।

याद कीजिए इस्लामी गृहयुद्ध के बीच सीरिया से विस्थापित होकर यूरोप उमड़ने वाले मुस्लिम जत्थों पर वाम–सेकुलर प्रतिक्रियाऐं.... याद कीजिए समुद्र तट पर गिरी आइलान की लाश पर लिखी कविताएं...

एक सवाल है– क्या गैर–मुस्लिम होना कोई अपराध है? क्या दुनिया की सहानुभूति और सहयोग केवल मुसलमानों के लिए आरक्षित है? खून के आंसू पीने वालों को अगर मुट्ठी भर राहत हासिल होने भी वाली है तो इसमें प्रताड़ित करने वालों के हुजूम का हिस्सा क्यों होना चाहिए?

इस हिस्से की पैरोकारी करने वाले कथित सेकुलर राजनीतिज्ञ (और दल) वे हैं, जिनकी राजनीतिक परिभाषा में अल्पसंख्यक का अर्थ केवल और केवल मुस्लिम है। जिनके दरियादिली का पलड़ा आर्थिक संसाधनों पर विशुद्ध आर्थिक कारणों से, आपराधिक नीयत से घुसपैठ करने वाले उपद्रवियों को ओर तो झुकता है, किन्तु जो और लुटे–पिटे, प्रताड़ित शरणार्थियों से मुंह फेर लेते हैं।

गौर कीजिए, 2004 से लेकर 2014 तक संप्रग सरकार आधिकारिक रूप से मानती रही कि पाकिस्तान, बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार हो रहे हैं। पूर्व में पाकिस्तान की नेशनल असेम्बली ने भी माना कि हर साल करीब 5,000 विस्थापित अल्पसंख्यक उसके यहां से भारत आते हैं। सिर्फ यहां मान लेने से, और वहां बता देने से क्या होगा?

निदान कैसे, कौन करेगा? अब निदान की, समाधान की राह निकली है।

सीमापार के उन्मादियों के लिए जो सिर्फ मुसलमान बनाने या पैदा करने का कच्चा माल था, सेकुलर लामबंदियों के लिए जो सिर्फ 'कागजी आंकड़ा' और जबानी जमाखर्च था, मानवता के उस बदनसीब हिस्से को अब जाकर उम्मीद की रोशनी नसीब हुई है।

इस उजाले का इस पहल, नागरिक (संशोधन) विधेयक का स्वागत होना ही चाहिए।

पाकिस्तान में रहने वाले हिन्दू और सिख हर तरह से भारत आ सकते हैं। अगर वे वहां नहीं रहना चाहते हैं, उस स्थिति में उन्हें नौकरी देना और उनके जीवन को आरामदायक बनाना भारत सरकार का पहला कर्तव्य है।

महात्मा गांधी

(26,सितम्बर, 1947)

सूचना

कृपया आप अपना सुझाव महाकोशल संदेश के ई–मेल व्हाट्सअप नं. 9713223539 पर भेजें।

– सम्पादक

प्रकाशक एवं मुद्रक डॉ. किशन कछवाहा द्वारा विश्व संवाद केन्द्र, महाकोशल, प्लाट नं–1, म.नं. 1692, नवआदर्श कालोनी, के लिये ओम आफसेट प्रिन्टर्स 239, यूनियन बैंक के सामने बल्देवबाग चौक, जबलपुर द्वारा मुद्रित। प्रकाशन स्थान–विश्व संवाद केन्द्र प्लाट नं 1, म.नं. 1692 नवआदर्श कॉलोनी गढ़ा मार्ग जबलपुर मध्यप्रदेश । संपादक– डॉ. किशन कछवाहा-
Email:- vskjbp@gmail.com kishan_kachhwaha@rediffmail.com